





पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय Ministry of Environment, Forest & Climate Change

वन शिक्षा निदेशालय / Directorate of Forest Education

केंद्रीय अकादमी राज्य वन सेवा / Central Academy for State Forest Service

डाकघर न्यू फॉरेस्ट, देहरादून - 248006, उत्तराखंड P.O. New Forest, Dehradun - 248006, Uttarakhand

संदर्भ संख्या / Reference No: 9-47/Misc/HV/CASFOS/2021-22/3005

प्रकाशन की तिथि: 09 फरवरी 2024

Date of Publishing: February 09, 2024

अभिव्यक्ति की रुचि (ई.ओ.आई) का आमंत्रण Invites "Expression of Interest"

परिवहन प्रबंधन कंपनियों से वाहनों को किराये पर लेने हेतु आपूर्तिकर्ताओं का पंजीकरण

From Transport Management Companies for Registration of Suppliers for Hiring of Vehicles

जमा करने की अंतिम तिथि: 01.03.2024 (सायं 05:00 बजे तक)

Last date of Submission: 01.03.2024 (up to 05:00 PM)

विषय सूची / TABLE OF CONTENTS

अध्याय / Chapter	विषय / Item	पृष्ठ संख्या / Page No.
1	अकादमी एवं उद्देश्य के बारे में / About the Academy and Objective	3
2	आपूर्तिकर्ताओं का पंजीकरण / Registration of Suppliers	4
3	आवश्यक दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण / Submission of Essential Documents	5
4	नियम और शर्तें / Terms and Conditions	6
5	आपूर्तिकर्ता पंजीकरण प्रपत्र / Supplier Registration Form	8

^{*} इस अधिसूचना के हिंदी संस्करण में किसी वाक्यांश की व्याख्या से उत्पन्न किसी अस्पष्टता/विवाद की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण में दी गई दिए गए व्याख्या मान्य होगी।

^{*} In case an ambiguity/dispute arises on account of interpretation of any clause in the Hindi version of this notification, the instructions as spelt out in the English version shall prevail.

अकादमी एवं उद्देश्य के बारे में / ABOUT THE ACADEMY AND OBJECTIVE

1. केंद्रीय अकादमी राज्य वन सेवा (CASFOS), देहरादून, वन शिक्षा निदेशालय (DFE), देहरादून के तहत एक अकादमी है, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MOEF&CC), भारत सरकार (GOI) के तत्वावधान में एक संगठन है। अकादमी का अधिदेश राज्य वन सेवा (SFS) अधिकारियों को प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदान करना एवं सेवारत वन अधिकारियों, अन्य हितधारकों और अन्य सेवाओं के कार्मिकों के लिए विभिन्न विषयों पार आधारित प्रशिक्षण आयोजित करना है। वर्ष भर में, अकादमी 20-40 दिनों की अविध वाले विभिन्न प्रमुख दौरे जैसे पूर्वी भारत दौरा, पश्चिम भारत दौरा, उत्तर भारत दौरा एवं दक्षिण भारत दौरा के साथ शहर/राज्य में और उसके आस-पास विभिन्न अल्पकालिक दौरों/यात्राओं का आयोजन करती है।

Central Academy for State Forest Service (CASFOS), Dehradun is an Academy under the Directorate of Forest Education (DFE), Dehradun, an organisation under the aegis of Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MOEF&CC), Government of India (GOI). Academy has a mandate to impart induction training to State Forest Service (SFS) Officers and to conduct various themebased trainings for In-service Forest Officer, Other Stakeholder and Personnel of Other Services. Throughout the year, Academy organize various major tours like East India Tour, West India Tour, North India Tour, and South India Tour, with the duration of 20-40 days, along with various short-term tours/visits with in and around the city/state.

2. उपरोक्त उल्लिखित दौरों/यात्राओं हेतु, वर्ष भर में अकादमी अनुमानित 25 लाख रुपये से अधिक मूल्य पर विज्ञापन निविदा पूछताछ (ATE) या अनुमानित 25 लाख रुपये तक के मूल्य पर सीमित निविदा पूछताछ (LTE) के माध्यम से विभिन्न वाहनों को किराए पर लेती है। LTE के मामले में, बोली दस्तावेज सीधे स्पीड पोस्ट/पंजीकृत पोस्ट/कृरियर/ईमेल द्वारा उन फर्मों को भेजा जाता है जो पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं की सूची में शामिल हैं। GFR 2017 के नियम 150 के अनुसार पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं की एक सूची तैयार करने हेतु, अकादमी का उद्देश्य सेवाओं (गैर-परामर्शी सेवाओं) की खरीद हेतु विश्वसनीय स्रोत स्थापित करने की दृष्टि से विभिन्न वाहन सेवा प्रदाताओं (फर्मों/कंपनियों/विक्रेताओं/ आपूर्तिकर्ताओं आदि) को सूचीबद्ध करने का है।

For above mentioned tours/visits, Academy hire various vehicles throughout the year via Advertised Tender Enquiry (ATE) for an estimated value above Rs. 25 lakhs or Limited Tender Enquiry (LTE) for an estimated value is up to Rs. 25 lakhs. In case of LTE, the bidding document is sent directly by speed post/registered post/courier/ email to firms which are borne on the list of registered suppliers. So as to prepare a list of registered suppliers as per Rule 150 of GFR 2017, Academy intends to empanel various vehicle service providers (firms/companies/vendors/suppliers etc.) with a view to establish reliable sources for procurement of services (non-consulting services).

आपूर्तिकर्ताओं का पंजीकरण / REGISTRATION OF SUPPLIERS

1. पंजीकृत आपूर्तिकर्ता LTE के माध्यम से गैर-परामर्शी सेवाओं (वाहनों को किराए पर लेना) की खरीद हेतु प्रथम दृष्टया विचार के पात्र होंगे। पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को आम तौर पर अपनी बोलियों के साथ बोली सुरक्षा जमा करने से भी छूट दी जाती है।

Registered suppliers will be the prima facie eligible for consideration for procurement of nonconsulting services (hiring of vehicles) through the LTE. Registered suppliers are also ordinarily exempted from furnishing bid security along with their bids.

2. अभिव्यक्ति की रुचि प्रस्तुत करने एवं सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की उचित जांच के उपरान्त, अकादमी के साथ पंजीकरण की पृष्टि केवल अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं को सूचित की जाएगी। पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं की सूची वन शिक्षा निदेशालय, देहरादून की वेबसाइट यानी https://dfe.gov.in पर भी प्रदर्शित की जाएगी। हालाँकि, केवल अकादमी के साथ पंजीकरण की पृष्टि ही किसी आपूर्तिकर्ता को LTE में भाग लेने के लिए पात्र नहीं बनाती है।

After submission of Expression of Interest and due scrutiny of the documentation provided by the service provider, confirmation of registration with the Academy will be communicated to approved suppliers only. The list of the registered suppliers shall also be exhibited on website of the DFE, Dehradun i.e., https://dfe.gov.in. However, confirmation of registration with the Academy only does not merely make a supplier eligible to participate in the LTE.

3. किसी भी आगामी बोली में ऑनलाइन भागीदारी के समय, एक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को https://moefcc.euniwizarde.com लिंक के माध्यम से MoEF&CC पोर्टल पर गैर-वापसी योग्य 2,000 रुपये + 18% GST (12 महीनों के लिए वैध) के पंजीकरण शुल्क का भुगतान करके पंजीकरण करना होगा।

At the time of online participation in any upcoming bids, a registered supplier must also register on the MoEF&CC Portal via link https://moefcc.euniwizarde.com, by paying a non-refundable registration fee of Rs. 2,000 + 18% GST (valid for 12 months).

आवश्यक दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण / SUBMISSION OF ESSENTIAL DOCUMENTS

1. इच्छुक आपूर्तिकर्ता को फॉर्म भरकर (अनुलग्नक-1 के अनुसार) आवश्यक दस्तावेजों (बिना किसी ओवरराइटिंग और मिटाए) के साथ अपनी अभिव्यक्ति की रुचि को विचारार्थ हेतु 01.03.2024 को या उससे पहले सायं 05:00 बजे तक ईमेल transport.casfosddn@gmail.com के साथ एक सीलबंद लिफाफे में जिसके शीर्ष पर "आपूर्तिकर्ताओं के पंजीकरण के लिए आवेदन" लिखा हो, डाक/हाथ से "प्रधानाचार्या, केंद्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, डाकघर न्यू फॉरेस्ट, देहरादून-248006 (उत्तराखण्ड)" को जमा करना होगा।

Interested supplier shall have to submit their Expression of Interest by filling the form (as per Annexure-1) along with essential documents (without any overwriting and erasures) by both, email at transport.casfosddn@gmail.com and by post/hand to "The Principal, Central Academy for State Forest Service, P.O. New Forest, Dehradun-248006 (UK)", in a sealed envelope superscribed on the top as "Application for Registration of Suppliers", on or before 01.03.2024 up to 05:00 pm for consideration.

- 2. फर्म को निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे / The firm must submit the following documents:
 - a. निगमन प्रमाणपत्र / Incorporation certificate
 - b. GST पंजीकरण प्रमाणपत्र / GST registration certificate
 - c. पैन कार्ड / PAN card
 - d. शोधनक्षमता प्रमाणपत्र / Solvency certificate
 - e. प्रदर्शन प्रमाणपत्र (पहले के अनुबंधों की प्रतियां) / Performance certificate (copies of earlier contracts)
 - f. पिछले 3 वित्तीय वर्ष अर्थात् 2020-21, 2021-22, 2022-23 की ITR की प्रति / Copy of ITR of last 3 F.Y. i.e., 2020-21, 2021-22, 2022-23
 - g. आपूर्तिकर्ता पंजीकरण फॉर्म (अनुलग्नक-1 के अनुसार) / Supplier registration form (as per Annexure-1)
 - h. 2018 के बाद फर्म या मालिक के नाम पर पंजीकृत वाहनों (वाणिज्यिक) की सूची / List of vehicles registered (commercial) after 2018 on the name of firm or proprietor
 - i. उपरोक्त सभी वाहनों का पंजीकरण प्रमाण पत्र / Registration certificate of all above listed vehicles
 - j. MSME पंजीकरण प्रमाण पत्र, यदि लागू हो / MSME registration certificate, if applicable
 - k. ब्लैकलिस्टेड न होने एवं पिछले 3 वर्षों में किसी भी ग्राहक द्वारा उनका काम रद्द ना किये जाने का स्व-घोषणा पत्र / Selfdeclaration letter of not being blacklisted and their work has not been revoked by any client in the last 3 years

नियम और शर्तें / TERMS AND CONDITIONS

- 1. किसी भी संबंध में अधूरा फॉर्म और आवश्यक दस्तावेज, जैसे अपूर्ण विवरण, फॉर्म जमा न करना, किसी या सभी आवश्यक दस्तावेजों का गायब होना या कोई अन्य, अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हैं और जांच के लिए विचार नहीं किया जाएगा / Incomplete form and essential documents in any respect, viz incomplete details, non-submission of form, missing of any or all essential documents or any other, are liable for rejection and shall not be considered for scrutinization
- 2. आपूर्तिकर्ता को सेवा की प्रकृति के आधार पर एक निश्चित अवधि (1 से 3 वर्ष के बीच) के लिए गैर-परामर्शी सेवाओं (वाहनों को किराए पर लेना) की खरीद के लिए अकादमी में पंजीकृत किया जाएगा / The supplier will be registered with the Academy for procurement of non-consulting services (hiring of vehicles) for a fixed period (between 1 to 3 years) depending on the nature of the service
- 3. प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता के प्रदर्शन की समीक्षा करके उसके प्रदर्शन और आचरण पर नजर रखी जाएगी / Performance and conduct of every registered supplier shall be watched by reviewing their performance
- 4. पंजीकृत आपूर्तिकर्ता अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं की सूची से हटाए जाने के लिए उत्तरदायी है यदि वे आगामी बोलियों के नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहते हैं या समय पर सेवा की आपूर्ति करने में विफल रहते हैं या घटिया सेवाओं की आपूर्ति करते हैं या अकादमी को कोई गलत घोषणा करते हैं या कोई भी आधार, जो अकादमी की राय में, सार्वजनिक हित में नहीं है / The registered supplier is liable to be removed from the list of approved suppliers if they fail to abide by the terms and conditions of the upcoming bids or fail to supply the service on time or supply substandard services or make any false declaration to the Academy or for any ground which, in the opinion of the Academy, is not in public interest
- 5. इस अवधि के अंत में, पंजीकरण जारी रखने के इच्छुक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा / At the end of this period, the registered supplier willing to continue with registration are to apply afresh for renewal of registration
- 6. किसी भी समय पंजीकरण के लिए नए आपूर्तिकर्ता पर भी विचार किया जा सकता है, बशर्ते वे सभी आवश्यक शर्तें पूरी करते हों / New supplier may also be considered for registration at any time, provided they fulfil all the required conditions
- 7. बोली लगाने पर प्रतिबंध / Debarment from Bidding
 - a) यदि बोली लगाने वाले को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है तो उसे प्रतिबंधित कर दिया जाएगा / A bidder shall be debarred if he has been convicted of an offence:
 - i. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत; या / Under the Prevention of Corruption Act, 1988; or

- ii. सार्वजिनक खरीद अनुबंध के निष्पादन के हिस्से के रूप में जीवन या संपत्ति के किसी भी नुकसान या सार्वजिनक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने के लिए भारतीय दंड संहिता या उस समय लागू कोई अन्य कानून / The Indian Penal Code or any other law for the time being in force, for causing any loss of life or property or causing a threat to public health as part of execution of a public procurement contract
- b) उपरोक्त उप-धारा (a) के तहत प्रतिबंधित बोली लगाने वाला या बोली लगाने वाले का कोई उत्तराधिकारी, प्रतिबंध की तारीख से शुरू होने वाली तीन साल से अधिक की अविध के लिए किसी भी खरीद इकाई की खरीद प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होगा / A bidder debarred under above sub-section (a) or any successor of the bidder shall not be eligible to participate in a procurement process of any procuring entity for a period not exceeding three years commencing from the date of debarment
- c) यदि अकादमी यह निर्धारित करती है कि बोलीदाता ने सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन किया है, तो अकादमी किसी बोलीदाता को उसके द्वारा शुरू की गई किसी भी खरीद प्रक्रिया में भाग लेने से दो साल से अधिक की अविध के लिए प्रतिबंधित कर सकती है / Academy may debar a bidder from participating in any procurement process undertaken by it, for a period not exceeding two years, if Academy determines that the bidder has breached the code of integrity

Silit

आपूर्तिकर्ता पंजीकरण प्रपत्र / SUPPLIER REGISTRATION FORM

फर्म का नाम	Name of Firm:	
भग भग गाग /	Name of Firm.	

स्वामी/मालिक का नाम / Name of Proprietor/Owner:

पंजीकृत डाक पता / Registered Postal Address:

टेलीफोन/मोबाइल नंबर / Telephone/Mobile No:

आधिकारिक ई-मेल पता / Official E-mail Address:

वाहनों का विवरण / Details of vehicles:

क्र.सं. /	वाहन का प्रकार /	निर्माण और मॉडल /	एसी/नॉन-एसी /	यात्री सीटो की संख्या /	वाहनों की संख्या /	पंजीकरण वर्ष /	पंजीकरण संख्या /	टिप्पणियाँ /
S.No.	Type of Vehicle	Make & Model	AC/Non-AC	No. of Passenger Seats	No. of Vehicles	Registration Year	Registration Number	Remarks
1.	Sedan							
2.	Sedan							
3.	SUV							
4.	SUV							
5.	SUV (captain seat)							
6.	SUV (captain seat)							
7.	MUV							
8.	MUV	2						
9.	Mini-Bus							
10.	Mini-Bus							
11.	Bus							
12.	Bus							
13.	Other							